(147)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7049–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–2–2017 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 23/बी–103/(धारा 33–40)/2015–16.

1– रईसलाला पिता मोहम्मद जानलाला
निवासी मिर्जावाडी उज्जैन
2– सुलेमान पिता सुल्तानशाह लाला
3– अब्दुल करीम वल्द सुल्तानशाह लाला
निवासी 34 श्रीपाल मार्ग उज्जैन
4– दिनेश कटारिया पुत्र अभय कुमार कटारिया
निवासी 30–ए, सूरज नगर उज्जैन
5– आरिफ शाह खान पुत्र सुल्तानशाह खान
निवासी 152, सैफी मो0 नयापुरा
बाखल भार्गव मार्ग उज्जैन
6– लियाखत पुत्र खाकी मोहम्मद खान
निवासी ग्राम सुलिया
तहसील घटिया जिला उज्जैन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला शाजापुर
2– अब्दुल समीम पुत्र अब्दुल हकीम मुस.
निवासी मोहल्ला मगरिया
कृषकग्राम मुरादपुरा
तहसील व जिला शाजापुर .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा 100/– के मुद्रा पत्र पर निष्पादित विकय अनुबन्ध पत्र को उचित मुद्रांक शुल्क निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, शाजापुर को भेजा गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 23/बी–103/(धारा 33–40)/2015–16 कर दिनांक 9–2–2017 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 1,04,963/– एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 1,05,037 कुल राशि 2,10,000/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19–12–2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2017 क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । यह भी कहा गया कि विकय अनुबंध पत्र के अनुसार कब्जा आवेदकगण को दिया जाना चाहिए था, जो कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर गाईड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जबकि गाईड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा म.प्र. लिखितों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 (4) के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम के

प्रावधानो, साक्ष्य अधिनियम तथा विधि के सिद्धान्तों के विपरीत स्वेच्छाचारी आदेश पारित किया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश, बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा 100/– रूपये के मुद्रांक शुल्क पर विकय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया था । ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने एवं शास्ति अधिरोपित करने के आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा उचित मुद्रांक शुल्क निर्धारण हेतु प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजा गया है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के आदेश के पालन में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवेचना उपरांत आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत आदेश है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि विकय अनुबंध पत्र के निष्पादन दिनांक से ही कब्जा हस्तांतरण पत्र निष्पादित किये बिना परिदत्त किये जाने का करार, अनावेदक कमांक 2 एवं आवेदकगण के मध्य किया गया है, इसलिए प्रश्नाधीन दस्तावेज पर वही शुल्क देय है, जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण पत्र क. 22 पर लगता है । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अनावेदक कमांक 2 एवं आवेदकगण के मध्य निष्पादित प्रश्नाधीन दस्तावेज का स्वरूप, लिखत की अंतर्वस्तु एवं पक्षकारों के आशय को दृष्टिगत रखते हुए कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने एवं अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर